यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, कीर्तिनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, कीर्तिनगर के माह 08/2015 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 08/12/2017 से 16/12/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री भानू प्रताप संह व डी॰ के॰ मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 24/08/2015 से 01/09/2015 तक श्री ....., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2011 से 07/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से ..... तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः खंड द्वारा मार्ग निर्माण ब्लॉक देवप्रयाग एवं कीर्तिनगर के अंतर्गत आने वाले भागों का निर्माण व रखरखाव।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	359.75	359.75	1625.41	1620.18	-	5.23
2015-16	-	--	327.77	327.77	1873.83	1873.76	-	0.07
2016-17	-	-	343.73	343.73	1758.00	1640.58	-	117.44
2017-18	-	-	351.35	291.89	1682.03	1523.17	-	158.86

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई बी श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, कीर्तिनगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, कीर्तिनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, एवं 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। पैंडुला बैंड से अमरोली मैखंडी मार्ग का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... को निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2017 तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह अक्तूबर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 715678

भाग द्वितीय ` 1098032

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम -

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप -

(ङ) भण्डार -

भाग 2 ब

प्रस्तर 1- :वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹ 1.24 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयंता,अस्थाई खंड, लोक निर्माण वभाग, कीर्तिनगरके अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री सतीश चन्द्र भट्ट,सहायक अ भयंता, व श्री हर्षवर्धनमैठानी,प्रभारी सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर2004 मे नियु क्त हुई थी तथा दोनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर 2011 को हुई|

उपरोक्त दोनों अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद परहुई थी परन्तु 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद परपदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो की सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री सतीश चन्द्र भट्ट,सहायक अ भयंताको पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹18700/=दिया गया जब क श्री हर्षवर्धनमैठानी,प्रभारी सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार अप्रैल 2011को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर अप्रैल2011सेअगस्त 2014 तक श्री सतीश चन्द्र भट्ट,सहायक अ भयंताको कुल ₹ 1.24 लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क श्री सतीश चन्द्र भट्ट,सहायक अ भयंताको शासनादेश संख्या-41/xxvii(7)सी॰भर्ती/2009 दिनांक-13 फ़रवरी 2009 के अनुसार दी गयी। खंड का उत्तर मान्य नही हैं।क्यो क उपरोक्त शासनादेश दिनांक-01.01.2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के का र्मको के व भन्न वेतन बैंडो मे वेतन निर्धारण के संबंध मे हैं।

अत: श्री सतीश चन्द्र भट्ट,सहायक अ भयंतापर₹ 1.24 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2 - कार्य की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही नि वदा आमंत्रित करना, उच्चा धकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटना तथा कार्य की स्वीकृति लागत से अ धक व्यय 29.29 लाख कया जाना।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र - देवप्रयाग के अन्तर्गत पैण्डूला बैण्ड से अमरोली कण्डोली मैखण्डी मोटर मार्ग का पुनः निर्माण सुधार एवं डामरीकरण कार्य (लम्बाई 9.500 कमी.)। की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 805/11(2)/14-51 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 07/02/2014 के द्वारा 9.500 क.मी. लम्बाई हेतु लागत 332.52 लाख की प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा पत्रांकः 1932/8(46) याता.- ग.क्षे./2014 दिनांक 25/09/2014 के माध्यम से लम्बाई 9.00 क.मी. हेतु लागत 332.40 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि. व., कीर्तिनगर के अ भलेखों की नमूना जांच (माह 12/2017) में पाया गया कः

- कार्य की प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा पत्रांकः 1932/8(46) याता.-ग.क्षे./2014 दिनांक 25/09/2014 के माध्यम से लम्बाई 9.00 कमी. हेतु लागत 332.40 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जब क प्रा वधक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही दिनांक 11/07/2014 को नि वदा आमंत्रित की गयी।
- कार्य की प्रा व धक स्वीकृति 332.40 लाख की मुख्य अ भयन्ता (ग.क्षे.), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी, परन्तु उच्चा धकारी की संस्वीकृति से बचने के लये कार्य को टुकड़ों में बांटते हुए कुल 08 अनुबंध गठित कये गये, जिसमें से 03 अनुबंध अ धशासी अ भयन्ता स्तर तथा 05 अनुबंध अधीक्षण अ भयन्ता स्तर के गठित कये गये जब क इसके लये सक्षम अ धकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं कया गया।
- कार्य हेतु उत्तराखण्ड शासन से मात्र 332.52 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्याः 805/11(2)/14-15 (प्रा.आ.)/2013 दिनांक 07/02/2014 के द्वारा 9.500 कमी. लम्बाई हेतु प्राप्त हुयी थी जब क केवल 9.00 कमी. लम्बाई कार्य के लये ही कुल 361.81 लाख का भुगतान करते

हुए शासन से स्वीकृति प्राप्त कये वगैर स्वीकृत लागत से 29.29 लाख का अ धक भुगतान कया गया जब क निष्पादित कार्य के लये 4.75 लाख का बिल खण्डीय कार्यालय में Unpaid पड़ा हुआ था।

उक्त के सन्दर्भ में इं गत कये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया क प्रा व धक स्वीकृति की प्रत्याशा में टेण्डर आमन्त्रित कये गये, जब क कार्य को टुकड़ों में बाटने के नि मत्त सक्षम अ धकारी की संस्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी, तथा स्वीकृति लागत से अ धक व्यय के संबंध में अवगत कराया गया क 332.52 की स्वीकृति लागत जो वर्ष 2014 में प्राप्त हुई वर्ष 2014 से श्र मक एवं सामग्री की दरों में वृद् ध के कारण पूर्व स्वीकृत 9.500 कमी. का कार्य पूर्ण न होने के कारण मुख्य अ भयन्ता द्वारा व्यया धक्य की स्वीकृति प्राप्त की गयी आ धक्य का व्यय वहन इसी योजना से कया गया। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क नि वदा आमन्त्रण में वत्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कया गया, जब क कार्य को टुकड़ों में बांटने के नि मत्त सक्षम अ धकारी की संस्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी थी तथा व्यय आ धक्य के लये शासन से वत्तीय स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी।

अतः कार्य की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही नि वदा आमंत्रित करने, उच्चा धकारी की संस्वीकृति के बिना कार्य को टुकड़ों में बांटने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: 25.88 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली/समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग कीर्तिनगर के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से दिसम्बर 2017 तक धनरा श 25.88 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / हेतु कोई प्रयास खण्ड द्वारा नहीं कया गया आगे लेखा अ भलेखों में पाया गया क खण्ड द्वारा इन अ ग्रमों की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया था। अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं कया गया आगे यह भी देखा गया क कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारो के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / खण्ड द्वारा नहीं कया जा रहा है एवं प्रकरण को वभाग के उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस संबंध में वभाग से पूछा गया क कन कारणों से खण्ड द्वारा इन वगत 3 वर्षों में कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारो से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली समायोजन / प्रकीर्ण अ ग्रम मद में कया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी रा श को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या खण्ड द्वारा इस संबंध में जिला अ धकारी को वसूली कए जाने हेतु लखा गया है वभाग ने उत्तर में बताया क अ ग्रम धनरा श काफी वर्ष पुरानी है एवं माह 16 एवं 17 जून 2013 में आई बाढ़ के कारण अ ग्रम प्रकरण से संबं धत पत्रावली बह जाने से पत्राचार नहीं हो पा रहा है पत्र व्यवहार ना मलने के कारण वसूली हेतु पत्राचार नहीं हो पा रहा है वभाग का उत्तर मान्य नहीं है। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: प्रतिभूति धनरा श (**Security Deposit)** की प्रत्याहरण**(Refund)** के संबंध मे।

जुलाई 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदर से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार में जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती है। माह अगस्त 2014 से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से आन लाइन कया गया। आन लाइन भुगतान में ठेकेदार के देयक से कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार में जमा हो रही हैं।

खंड कीनिक्षेप पंजिका 2016-17 की जांच मे पाया गया हैं क निक्षेप के Part-II के अनुसार `30,11,611.00(तीस लाख ग्यारह हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र(के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष हैं। ठेकेदारो को प्रतिभूति धनरा श के वरुद्धधनवाटन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नही कया गया हैं।

इस ओर इं कत कए जाने कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क इस संबंध मे उच्च अ धकारियों से पत्राचार कया गया हैं खंड का उत्तर मान्य नही हैं।

अत :जुलाईसे पूर्व ठेकेदारो से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श 2014`30,11,611.00(तीस लाख ग्यारह हजार छह सौ ग्यारह रुपये मात्र(का प्रत्याहरण)Refund) नही कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर **3-:** उप खनिजो पर ` 15.46 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26फरवरी 2016तथा संख्या-842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक 26/02/2016 से 18/05/2016 तक 194.50, दिनांक 19/05/2016 से 27/10/2016 तक 154.00 प्रति घन मीटर संशो धत/वृद् ध कया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता,अस्थाई खंड, लोक निर्माण वभाग, कीर्तिनगरकार्यालय के संबं धत अ भलेखों,माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016मे नही की गई थी।

खण्ड के द्वारा मार्च 2016 मे कुल `13.31 लाख कटौती कर जमा कया गया था जब क संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `28.77 लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात (`28.77 लाख -`13.31 लाख =` 15.46 लाख) `15.46 लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क कार्यो के स्वीकृत अनुमानो मे रायल्टी की जो दरे दी गयी हैं उसी आधार पर कटौती की गयी हैं। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क देयकों के भुगतान के ति थ को, जो भी रॉयल्टी की दर होती है।, उसी दर से रॉयल्टी की कटौती की जाती हैं। अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अत : `15.46 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **4** - राष्ट्रीय माध्य मक शक्षा अ भयान के अन्तर्गत अपूर्ण कार्य पर 15.31 लाख के व्यय के उपरान्त उद्देश्यों के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनिश्चित न कए जाने से छात्र छात्राओं को सु वधा से वं चत रखना।

राष्ट्रीय माध्य मक शक्षा अ भयान के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर वकास खण्ड में राजकीय उच्चतर माध्य मक वद्यालय धारकोट में कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कला व क्राफ्ट कक्ष एवं शौचालय का निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य परियोजना निदेशक के प.सं. नियोजन/1237-40/24-निर्माण/2015-16 दिनांक 20/07/2015 द्वारा लगात 30.42 लाख की प्राप्त हुयी थी। उक्त कार्य की प्रा व धक स्वीकृति अ धशासी अ भयन्ता, अस्थायी खण्ड, लो.नि. व., कीर्तिनगर द्वारा पत्रांकः 2345/1 सी.बी. दिनांक 22/09/2015 के माध्यम से लागत 30.42 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि. व. कीर्तिनगर के अ भलेखों की नमूना जांच (माह 12/2017) में पाया गया क उक्त कार्य हेतु खण्ड को स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत अर्थात 15.21 लाख (माह 10/2015 में) प्राप्त हुआ था। कार्य निष्पादन हेतु चयनित आधार पर अनुबंध सख्याः 65/EE dt. 05/10/2015 गठन कया गया जिसके अनुसार अनुबं धत लागत 2704869.83 एवं आग णत लागत 2707950.52 थी तथा कार्य प्रारम्भ की ति थ 05/10/2015 एवं कार्य समाप्ति की ति थ 04/09/2016 थी। अनुबंध पत्र में प्रत्येक कार्य हेतु समय सारणी निर्धारित की गयी थी जिसके अनुसार उक्त रमसा कार्य को 12 माह में पूर्ण कया जाना था परन्तु लेखापरीक्षा ति थ तक कार्य पर 15.31 लाख व्यय कर कार्य को पूर्ण नहीं कया जा सका था। इस प्रकार उक्त भवन निर्माण कार्य समय से पूर्ण नहीं होने एवं ग्राहक वभाग को हस्तान्तरित नहीं होने से उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं कए जाने से छात्र छात्राओं को सु वधा से वं चत रहना पड़ा।

उक्त के सन्दर्भ में इं गत कये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया क कार्य पूर्ण है धनअभाव के कारण अंतिमीकरण नहीं कया जा सका है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं थ् क्यों क कार्य पूर्ण कये जाने संबंधी साक्ष्य माप पुस्तिका, सम्बन्धित बिल एवं फोटाग्राफ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कये जा सके तथा कार्य को अभी ग्राहक वभाग को हस्तान्तरित भी नहीं कया जा सका था जिससे उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था।

अतः राष्ट्रीय माध्य मक शक्षा अ भयान के अन्तर्गत अपूर्ण कार्य पर 15.31 लाख के व्यय के उपरान्त उद्देश्यों के अनुरूप निर्माण व उपयोग सुनिश्चित न कये जाने से छात्र छात्राओं को सु वधा से वं चत रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **5**- कार्यो पर `64.53 लाख का व्ययावर्तन कया जाना।

खंड की माह 03/2017 के फॉर्म-64 की जांच मे पाया गया क निम्न ल खत 19 कार्यो के सापेक्ष ऋणात्मक व्यय दिखाया गया था।-

क्रम.स.	कार्य का नाम	माह 3/2017 मे कया गया खर्च
1	पौड़ीखाल भासौ मोटर मार्ग का पुन: निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-4855.00
2	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग का पुन: निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-130416.00
3	मंजकोट से बंदसा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	-11700.00
4	गुरुदेवता मुसाङ्गओन ल्वेटी जरोला तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण	-10000.00
5	थाती डागर से रेतासी मोटर मार्ग का नव निर्माण	-10000.00
6	न्यूली मठूर गाँव हल्का वाहन मार्ग का डामरीकरण	-10000.00
7	नागचोड़ चामी तोली मार्ग का धौ डयलधार तक वस्तार	-106403.00
8	ललथ सवालीधर मोटर मार्ग का पुन निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-1787739.00
9	बरसोली से गोली गुरचोली डंगचोरा मोटर मार्ग का पुन निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-1029239.00
10	संगोली चोड़ी मोटर मार्ग का पुन निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-136800.00
11	डंगचोरा पा डयारगाव बदोन मोटर मार्ग का पुन निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-85400.00
12	कं डखाल क्विली सीलोड मोटर मार्ग का पुन निर्माण सुधार एवं डामरीकरण	-460303.00
13	डोभ पाटयो से हरिजन बस्ती वीरों की कोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)	-383075.00
14	पौड़ीखाल कोटी चामी मोटर मार्ग का निर्माण	-218662.00
15	रणसोलीधार से नौला सल्ला मोटर मार्ग का निर्माण	-593147.00

16	तेगड़ से घंडीयालधार मोटर मार्ग का सुधारिकरण कार्य	-45464.00
17	दुगद्दासौद पपलीधार मोटर मार्ग के कमी 1 से 21 तक क्षतिग्रस्त दीवारों का पुन: निर्माण	-358819.00
18	लक्षमोली हिसरियाखाल मोटर मार्ग मे सतह सुधार का कार्य	-144000.00
19	डोभ पाटयो से हरिजन बस्ती वीरों की कोल्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण (द् वतीय चरण)	-927325.00
	योग	(-) 64,53,347.00

अ भलखो के अनुसार अ धकाश कार्यो पर एक से दो वर्ष के स्वीकृति के उपरान्त भी कोई कार्य नहीं गया था और इन कार्य पर व्यय भारित कया गया तथा कुछ कार्यो पर वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से अ धक व्यय कया गया था जिस का समायोजन टी0ई0ओ के द्वारा खंड मे अन्य कार्यो पर भारित कया गया ।

इस ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बताया गया क उ चत समायोजन के कारण ऋणात्मक व्यय प्रद र्शत हो रहा हैं। कुछ कार्यो के व्यय द् वतीय चरण मे भारित होने के बजाय प्रथम चरण मे हुए हैं। कार्यो मे प्र वधानिक आकस्मिक व्यय भारित होने के कारण ऋणात्मक व्यय हुआ है। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्यो क व्ययावर्तन करते हुए `(-) 64,53,347.00का व्यय भारित कया गया था।

अत: कार्यो पर ` 64.53 लाख का व्ययावर्तन कए जाने का प्रकरण उच्च धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं॰	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	16/2003-04	-	01	
2	17/2004-05	-	02	
3	65/2005-06	01	04	
4	06/2010-11	01	05	
5	18/2011-12	-	-	
6	53/2015-16	-	01	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खंड द्वारा अनुपालन आख्या अलग से प्रे षत केआर जाएगी।	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खंड, लो॰नि॰ व॰, कीर्तिनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री भगवती प्रसाद नौटियाल	अ ध॰अ भ॰	20/08/14 से 27/07/2017
(ii)	श्री जगमोहन संह चौहान	अ ध॰अ भ॰	27/07/17 से अब तक

(iii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री नरेंद्र संह रावत 30/07/2014 से 02/09/2015
2. श्री पदमेन्द्र संह 02/09/2015 से 22/08/2017
3. श्री नरेंद्र संह रावत 22/08/2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, 8वां वृत्त, लोक निर्माण वभाग, नई टिहरी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II